न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 122/2018 (225 आरटीए) नारायणराम वगै. बनाम गणेशाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00261)

1 नारायणराम पुत्र धूड़ाराम,
2 रामुराम पुत्र पुरखाराम,
3 मोहनराम पुत्र पुरखाराम,
4 चंद्राराम पुत्र पुरखाराम
जाति मेघवाल निवासी बड़ला बासनी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 गुणेशाराम पुत्र श्री पदमाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ला बासनी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
2 श्री तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 25.05.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 32/2014

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल।
2 रेस्पो सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह चौधरी।
3 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 28.01.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर ओसियां के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 32/2014 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर ओसियां के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थी/रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं.

32/2014 पेश किया कि रेस्पो. सं. 1 की खातेदारी व कब्जाशुदा भूमि खेत खसरा नं. 164/1 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा ग्राम बड़ला बासनी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर में आई हुई है। जिसके पड़ोस में बतरफ पश्चिम दिशा में अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नं. 164 रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा आई हुई है। जिसमें आने जाने हेतु रास्ते की मांग की तथा पूर्व में ही रास्ता मौके पर चलने का लिखा गया। वर्तमान में रास्ता बंद कर देने से रेस्पो. सं. 1 द्वारा खसरा नं. 164/1 में जाने हेतु अपीलांट्स के खसरा नं. 164 में आने जाने हेतु रास्ते की मांग की। श्रीमान सहायक जिलाधीश फलोदी के मुकदमा सं. 40/80 दिनांक 15.06.1981 के आदेश के बाद नामांतरकरण सं. 358 मूल खसरा नं. 164 में खसरा नं. 164/1, 164/2, 164/3 तक कदीमी रास्ते के चिन्ह दर्शाये गये। इन्हीं चिन्हों से रेस्पो. वर्तमान में चल रहा है। उसे 20 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। जिसके लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार तिंवरी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जबाब का अवसर दिये बिना ही पत्रावली की तारीख पेशी जो 02.05.2018 नियत थी से बिना किसी तारीख दिये आगामी तारीख राजस्व कैंप घेवड़ा में दिनांक 25.05.2018 को ले जाकर रेस्पो. सं. 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 25.05.2018 पारित किया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान सहायक कलक्टर ने रेस्पो. सं. 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। रेस्पो. सं. 1 के खेत खसरा नं. 164/1 ग्राम बड़ला बासनी से कटान रास्ता आने जाने हेतु खसरा नं. 164 में से कोई कदीमी रास्ता आज दिन तक नहीं रहा और न ही वर्तमान में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2018 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.05.2018 दी गई थी तथा 02.05.2018 से आगे कोई आगामी पेशी नहीं दी गई थी तथा पत्रावली को सीधे से दिनांक 25.05.2018 को लोक अदालत कैंप में ले जाकर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलोच्य

आदेश पारित किया है। लोक अदालत कैंप में सिर्फ राजीनामे योग्य प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है। उक्त आलोच्य आदेश में इस तरह का कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है तथा आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में मंगवाई गई है जिसमें किसी भी पक्षकार की सहमति नहीं दी गई है तथा न ही रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई आपत्तियों की कोई सुनवाई की गई है। रेस्पो. के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं दिया है तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अंत में अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5 रेस्पो सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह चौधरी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि के पश्चिमी दिशा में एक ग्रेवल सड़क चल रही है, जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और इसी ग्रेवल सड़क से 20 फुट चौड़ा रास्ता अपीलांट्स की भूमि में से चाहा है जो निकटतम एवं लघुतम है। इसके अलावा रेस्पो. सं. 1 की भूमि में ग्रेवल सड़क से आने जाने के लिये कोई नजदीकी रास्ता नहीं हैं। अपीलांट्स ने मौखिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तावित रास्ते को देने की सहमति दी थी लेकिन आदेशिका में हस्ताक्षर नहीं किये थे। अपीलांट्स ने लंबे समय तक कोई जबाब नहीं दिया था अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिम्मेदार सरकारी अधिकारी से मौका रिपोर्ट मंगवाई थी जिसके आधार पर उक्त आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं। अतः रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपीलांट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध

अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में मुख्य आपत्ति यह की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में मंगवाई गई है जिसमें किसी भी पक्षकार द्वारा सहमति नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई है तथा अपीलांट्स की अनुपस्थिति में समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना कैंप कोर्ट में प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। जो विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।

9 उक्त आपत्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 06.07.2015 पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है इसकी पुष्ठि मौका रिपोर्ट पर पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं होने से होती हैं तथा मौका रिपोर्ट के समय पक्षकारों की उपस्थिति बाबत कोई नोटिस जारी होना भी ज्ञात नहीं होता है और इस संबंध में मौका रिपोर्ट में भी कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। पत्रावली में मौका रिपोर्ट पर भी अपीलांट की ओर से दिनांक 03.01.2017 को आपत्ति पेश की जा चुकी थी। परंतु अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में आपत्तियों पर सुनवाई के लिये अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण का निस्तारण कैंप कोर्ट में किया गया है परंतु पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा या समझौता भी नहीं हुआ है और कैंप कोर्ट में पक्षकारान व उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति का आदेशिका में कोई विवरण अंकित नहीं हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रकरण का कैंप कोर्ट में लोक अदालत की भावना से नहीं बल्कि पक्षकारान की अनुपस्थिति में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया है। इस आदेश को पारित करने से पूर्व अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों पर भी उनको नहीं सुना गया है। जबकि धारा 251क के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 में प्रावधान किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करेगा तथा उपखण्ड अधिकारी का पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी जांच जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात यदि समाधान हो जाता है कि रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधा जनक उपयोग के लिये नहीं हैं और अन्य खातेदार की जोत से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक

साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आवेदन अनुज्ञात कर सकेगा। इस प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा आपत्ति पेश की जा चुकी थी जिसमें यह आपत्ति भी की है कि प्रार्थी को उसके खेत पर जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा मौका रिपोर्ट भी पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है तथा कैंप कोर्ट में प्रकरण के निस्तारण के समय भी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। अतः इस न्यायालय की राय में धारा 251क व इस धारा के कार्यान्वयन के लिये बनाये गये नियम 69 की पालना अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं की है अतः प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाई जाकर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये धारा 251 क व उससे संबंधित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों की पूर्ण पालना करते हुये प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे।

28/1/19

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/1/19

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर